न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्रीमती उकी देवी पत्नि स्वर्गीय थानाराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी– जावाल, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही
2. मीना पुत्री प्रागाराम जी, जाति–मेघवाल, निवासी– साचियावा माताजी मंदिर की गली, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 40/2021

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री भैरुपालसिंह बालावत, प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 28 नवम्बर, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1095 दिनांक 28.6.2018 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरुपालसिंह बालावत उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत की एवं बहस के दौरान अपील व लिखित बहस में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल में अपीलान्ट के पति स्वर्गीय श्री थानाराम पुत्र हीराजी मेघवाल निवासी जावाल व अन्य सहखातदारान् के संयुक्त खातेदारी तथा कब्जा काश्त की कृषि आराजी आई हुई है, जिसके खाता संख्या 220 221 तथा 222 खसरा संख्या: 1738, 2174/239, 2182/239, 236, 237 तथा 238 है उक्त आराजी पर अपीलान्ट के पति ने अपने पूरे जीवनकाल में खेती की है। अपीलान्ट के कोई जायन्दा पुत्र या पुत्री नहीं होने से अपीलान्ट ने अपने जेठ के जायन्दा लडके गणेशराम को दिनांक 08.10.2018 को गोद लिया था, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, सिरोही में किया गया है, जिसके पंजीयन संख्या 201803085400013 दिनांक 08.10.2018 है। श्री थानाराम पुत्र हीराजी मेघवाल के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार एवं वारिस अपीलान्ट व गणेशराम है, इसके अलावा कोई प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार एवं वारिस नहीं है। यह कि प्रत्यर्थी संख्या दो को अपीलान्ट या उसके पति ने कभी भी गोद नहीं लिया है तथा न ही अप्रार्थी संख्या दो अपीलान्ट की जायन्दा पुत्री है, फिर भी अप्रार्थी संख्या दो का नाम अपीलान्ट के पति की मृत्यु पर उत्तराधिकार के रूप में जोड़ा गया है जो सर्वथा गलत व विधि विरुद्ध है। मीना प्रागारामजी की पुत्री है, [illegible] गोद नहीं लिया गया है। यह कि प्रत्यर्थी संख्या दो अपीलान्ट की पुत्री [illegible] न ही अपीलान्ट ने प्रत्यर्थी संख्या दो को कभी भी गोद [illegible] स्वर्गीय थानारामजी की गोदी पुत्री या जायन्दा पुत्री नहीं होने से वारिस के [illegible] उसका नाम राजस्व [illegible] में

......पेज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:01 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

दर्ज नहीं किया जा सकता है, फिर भी अपीलान्ट की जानकारी के बिना उक्त नामान्तकरण में रेस्पोडेंट संख्या दो का नाम जोड़ा गया है, जो निरस्त योग्य है। यह कि थानाराम जी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तकरण स्वीकृत करने से पहले अपीलान्ट को किसी भी प्रकार का सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। प्रत्यर्थी संख्या दो के गोद जाने की कोई साक्ष्य नहीं होते हुए भी बिना आधार नामान्तकरण दर्ज किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। यह कि ग्राम पंचायत ने दिनांक 09.05.2018 को प्रमाणपत्र जारी कर थानारामजी के वारिस में गणेशराम गोदी पुत्र तथा अपीलान्ट पत्नि को होना बताया गया है तथा इसके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना बताया गया है. अपीलान्ट ने भी शपथपत्र प्रस्तुत कर गणेशराम के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना बताया गया था, फिर भी पीठ पिछे उक्त नामान्तकरण आदेश पारित कर रेस्पोडेंट संख्या दो का नाम बतौर वारिस जोडा है, जिससे आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। यह कि वारिसान् का गलत नामान्तकरण स्वीकृत करने से अपीलान्ट के हक अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है. अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि में प्रत्यर्थी संख्या दो का नाम दर्ज होने से अपीलान्ट की भूमि कम हो गई है. प्रत्यर्थी संख्या दो उक्त भूमि का खातेदार नहीं होते हुए भी राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किया गया है, जो गलत है। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2003 (2) Civil Times (Raj.) Page 859 Jethu Singh V/s Bhanwar Lal & Ors., 2009 (1) RRT Page 376 Jagdish V/s Sukali & Ors, 2006 (2) RLW (RJ) Page 1133 AVtar Singh V/s Didar singh & Ors में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि फौतगी नामान्तकरण मृतक के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीयों के नाम से दर्ज किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया है। उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न वसीयत या दत्तक के जरिए नामान्तकरण कार्यवाही में अधिनिर्णित नहीं किया जा सकता है। गोद साबित करने हेतु रेकर्ड पर अविवादित दस्तावेज नहीं है, केवल सिविल न्यायालय वैद्य गोद घोषित कर सकता है। *अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 2020 (2) RRT Page 889 Laxman Singh V/S Sayar Singh में तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी संख्या दो को कभी भी अपीलान्ट या उसके पति द्वारा* गोद नहीं लिया गया है, गोद लेने की कोई साक्ष्य नहीं है तथा न ही कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिससे गोद लिया जाना या दिया जाना साबित होता हो। गोद लेने या देने की कोई रश्म नही हुई है। प्रत्यर्थी संख्या दो या उसके नैसर्गिक पिता द्वारा स्कुल में माता पिता के रूप में अपीलान्ट व उसके पति का नाम दर्ज करवा दिया गया है या प्रत्यर्थी संख्या दो ने जाति प्रमाणपत्र जारी करवा दिया गया है तो उससे कोई अधिकार प्रत्यर्थी संख्या दो को प्राप्त नहीं होते है ऐसे दस्तावेज से गोद साबित नहीं होता है, तथा न ही पटवारी या तहसीलदार को उक्त आधार पर गोदी पुत्री होना निर्णित करने का अधिकार है, जिससे आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। यह कि अपीलान्ट अनपढ है व थानारामजी भी अनपढ थे, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड आदि दस्तावेज में अपीलान्ट द्वारा प्रत्यर्थी संख्या दो का नाम दर्ज नहीं करवाया गया है, ऐसा कोई दस्तावेज गलत बन भी गया है तो उससे गोदी पुत्री प्रत्यर्थी संख्या–2 साबित नहीं होती है, गोदी पुत्री साबित करने हेतु गोद लिया जाना व दिया जाना साबित किया जाना आज्ञापक है, जो साक्ष्य के बिना तय नहीं किया जा सकता है। यह कि नामान्तकरण आदेश दिनांक 26.09.2018 को पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार से अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है तथा उक्त आदेश अपीलान्ट की पीठ पिछे एक तरफा पारित किया गया है। नामान्तकरण की जानकारी

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:01 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

होने पर प्रत्यर्थी संख्या–2 को काफी समझाईश का प्रयास करने के बावजूद रेकर्ड से अपना नाम हटवाए जाने हेतु मना करने पर यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट ने अपने तथा अपने गोदी पुत्र गणेशराम के नाम से नामान्तकरण दायर करने हेतु पटवारी को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था लेकीन प्रत्यर्थी संख्या दो का नाम गलत दर्ज किया गया है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने 2018 RBJ Page 42 (SUPREME COURT) K. Subbarayudu V/S Special Deputy collector, 2000 (7) *RBJ Page 329 Madho Singh V/s Khem Ram Jat, 1999 (6) RBJ Page 115 Pokhar Lal V/s HarLal में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित* करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृती आदेश की जानकारी नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। मियाद अवधि जानकारी तिथी से प्रारम्भ होती है, ना कि आदेश की तारीख से होती है। इस कारण से विलम्ब की अवधि *को क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर* अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1095 दिनांक 28.6.2018 को निरस्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 का नाम नामान्तरकरण से हटाये जाने के आदेश पारित किये जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या–2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रत्यर्थी संख्या–2 मृतक थानाराम जी की गोदी पुत्री है एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 के नैसर्गिक पिता प्रागाराम जी है। प्रत्यर्थी संख्या–2 मीना उर्फ मीनाक्षी जब चार वर्ष की तब प्रत्यर्थी संख्या–2 को थानाराम जी एवं अपीलान्ट उकी देवी ने सामाजिक रिती रिवाज से सहर्ष गोद लिया था एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 का लालन पालन, भरण पोषण, सार संभाल, शिक्षा एवं समस्त सामाजिक रिती रिवाजों का निर्वहन थानारामजी एवं उकीदेवी द्वारा गोदी पिता व गोदी माता के रुप में किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या–2 के शैक्षणिक दस्तावेज यथा कक्षा तीसरी से कक्षा 12 वीं के तक में प्रत्यर्थी संख्या–2 के पिता का नाम थानाराम जी दर्ज है तथा 10 वीं व 12 वीं के बोर्ड प्रमाण पत्रों में भी प्रत्यर्थी संख्या–2 के पिता का नामा थानाराम जी ही अंकित है। प्रत्यर्थी संख्या–2 के जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड व राशन कार्ड में भी प्रत्यर्थी संख्या–2 के पिता का नाम थानाराम जी दर्ज है। जन आधार कार्ड में भी प्रत्यर्थी संख्या–2 के पिता का नाम थानाराम जी ही दर्ज है। प्रत्यर्थी संख्या–2 का थानाराम जी की गोदी पुत्री है एवं प्रत्यर्थी संख्या–2 का विद्यालय में प्रवेश भी थानाराम जी ने ही करवाया था और थानाराम जी ने ही प्रत्यर्थी संख्या–2 के पिता का नामा थानाराम जी विद्यालय रेकर्ड में दर्ज करवाया था। यदि प्रत्यर्थी संख्या–2 जो कि थानाराम जी की गोदी पुत्री नही होती तो थानाराम जी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 के पिता का नाम थानाराम जी दर्ज नही करवाते है। इन सब दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या–2 जो कि थानाराम जी की गोदी पुत्री है एवं थानाराम जी की गोदी पुत्री होने के कारण ही प्रत्यर्थी संख्या–2 का नाम नामान्तरकरण में दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत को उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नही है। उत्तराधिकार का विवाद सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निपटाया जा सकता है। अपीलान्ट को प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में प्रारम्भ से ही जानकारी होने के बावजूद मिथ्यों कथनों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है। अतः अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि खातेदार श्री थानाराम जी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का नामान्तरकरण अपीलान्ट एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 तथा गणेशराम के पक्ष में दायर होकर स्वीकृत हुआ है।

(4) उभय पक्ष की सुनी [illegible] पर [illegible] गया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया [illegible] यह [illegible] या कि ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल के खाता संख्या 220, 221 व 222 [illegible] संख्या 1738, 2174/239,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:01 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

2182/239, 236, 237 एवं 238 के संयुक्त खातेदार थानाराम जी पुत्र हिदाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– जावाल की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि में थानाराम जी पुत्र हिदाजी, जाति– मेघवाल, निवासी– जावाल के हक हिस्से की कृषि भूमि के संबंध में हल्का पटवारी, जावाल द्वारा अपीलान्ट एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 तथा गणेशराम पुत्र थानाराम जी के पक्ष में उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 1095 दायर किया गया, जिसे नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 2865.2018 को स्वीकृत किया गया है। नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा स्वीकृत उक्त नामान्तरकरण संख्या 1095 दिनांक 28.6.2018 के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17.9.2021 को प्रस्तुत की गई है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 1095 दिनांक 28.6.2018 को निरस्त कराने हेतु यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1095 दिनांक 28.6.2018 के संबंध में जानकारी तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत करना अंकित किया है। अपीलार्थी ने धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया है। प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण संख्या 1095 दिनांक 28.6.2018 के संबंध में पूर्व से ही जानकारी हो। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण होना पाया जाने से धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर इस अपील प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रत्यर्थी संख्या–2 (मीना उर्फ मीनाक्षी) के शैक्षणिक दस्तावेजों यथा कक्षा तीसरी से कक्षा 12 वीं तक के प्रगति पत्रों (अंक तालिका) एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका एवं बोर्ड प्रमाण पत्रों में प्रत्यर्थी संख्या–2 के पिता का नामा थानाराम मेघवाल एवं माता का नाम उकी देवी दर्ज है। प्रत्यर्थी संख्या–2 के पक्ष में तहसीलदार, सिरोही द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र में भी प्रत्यर्थी संख्या–2 के पिता का नाम थानाराम जी दर्ज है। प्रत्यर्थी संख्या–2 के मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड में भी प्रत्यर्थी संख्या–2 के पिता का नाम थानाराम दर्ज है। भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड में भी प्रत्यर्थी संख्या–2 के पिता का नाम थानाराम जी व माता का नाम उकी देवी दर्ज है। थानाराम जी के परिवार के राशन कार्ड में भी प्रत्यर्थी संख्या–2 के पिता का नाम थानाराम जी अंकित है। इस प्रकार, उक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या–2 का लालन पालन एवं भरण पोषण एवं शिक्षा आदि सभी दायित्वों का निर्वहन थानाराम जी एवं उनकी पत्नि उकी देवी द्वारा किया गया है एवं यदि थानाराम जी एवं उकी देवी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 को गोद नही लिया होता तो प्रत्यर्थी संख्या–2 के शैक्षणिक दस्तावेजों, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड एवं जन आधार कार्ड में पिता का नाम थानाराम अंकित नही होता। यह उल्लेखनीय है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी एवं फिस्कल प्रोसीडिंग है, जिसके द्वारा सम्पति पर स्वत्व एवं अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है। हक अधिकारों का निर्धारण सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर ही करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:27:01 IST
Reason: SelfAttested

(क.आर.खौड)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)